

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

:: आदेश ::

पटना, दिनांक 22/11/2025

संचिका संख्या-07/प्रो० 03-08/2025...4207.../शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के आदेश सं०-2558 दिनांक 09.09.2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशांसा के आलोक में वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किये गए कार्यावधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(दिनेश कुमार)

सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-07/प्रो० 03-08/2025 ...4207... पटना, दिनांक:-22/11/2025...

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-07/प्रो० 03-08/2025 ...4207... पटना, दिनांक:-22/11/2025...

प्रतिलिपि:- सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।